



। ओम नमः शिवाय ।

किन्म दस्तावेज

खरीद कीमत

सरकारी मालिकती

स्टाम्प

तर्किल रेट

- बैनामा । विक्रय पत्र ।

- 50,00,000/- रुपया

- 7,43,000/- रुपया

- 5,00,000/- रुपया

- 8,00,000/- रुपया प्रतिवर्ष

बाद - मौजा बगदा तहसील व जिला आगरा आराजी चिकीत मुख्य मार्ग
से करीब 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जिसकी 200 मीटर की
परधि में कृषि हो रही है व मोर्के पर कृषि हो रही है आराजी अन्तरण
से भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का उल्लंघन नहीं होता है ।

निष्कर्ष

प्रमाणित



04DD 072778

2

हम कि:- राम बाबू पुत्र श्री न्हाव सिंह निवासी बगदा तहसील
व जिला आगरा ----- प्रथम पक्ष / विक्रेता ।

स्व

मुस्तकान बिल्डकौन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि पञ्चवीर सिंह
पुत्र श्री महावीर सिंह डी-59, कमला नगर, तहसील व जिला आगरा

----- द्वितीय पक्ष / क्रेता ।

रामबाबू

पञ्चवीर सिंह



04DD 072779

3

जो कि एक आराजी बाके मौजा बगदा तहसील व जिला आगरा
की खाता संख्या 108 खसरा संख्या 228 रकबा 0.928 हे० लगानी
18.05/- पैसे सालाना सन् फसली 1412/1417 का मे प्रथम पक्ष
तनहा रुमात्र सकुमीय मुमिपर मासिक कापिज व रुवानी व दखील
चला जाता हूँ सिवाय मेरे अन्य कोई दोगर हकदार व हिस्सेदार नही
हे जो माने इन्तकाल का होवे और जो आज तक हर प्रकार के रहन

राज बाल

राज बाल



अदीप साहं
15 JUL 2005
लोहाधिकारी, आभरा
ERY

04DD 072780

4

वेय विक्रय मुआहिदा वेय आदि से कतई मुर्वरा पाक व ताफ है
कि जिसको विक्रय करना वास्ते जरूरत खुद के स्वीकार है ।

लिहाजा मैं मुक्तिर खूब सोच व समझ कर बिना सहकाये
व लिखाये व बिना दवाव किसी नाजायब के स्वस्थ चित्त मन
बुद्धि व इन्द्रिय के व बिना खाये पीये मादक पदार्थ के उक्त आराजी
कुल रकमा को मय गुडटाईटिल के बिलखज मुबलिन 50,00,000/-

राजवाट

म. ग. साहं



04DD 072773

5

वचन लाख रुपया मे वदस्त मुस्कान बिल्डकौन प्रा० लि० द्वारा

अधिकृत प्रतिनिधि यशवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह डी-59,

कमला नगर, तहसील व जिला आगरा द्वितीय फल उक्त को विक्रय

कलई की और बैर दी और कीमत का कुल रुपया प्राप्त किया कि

मुकदमा 11,00,000/- रुपया सजरिए चेक नं० 643024 दि० 16-1-06

रामदास



अदीव भागंव
115 JUL2005
लोषाधिकारी; आगरा
TRY

0400 072774

6

दोघमी चेक नं० 643026---- मुवलिम 30,00,000/- रुपया
दिनांक 16-7-05ई० ग्राखा केनरा बैंक कमला नगर, आगरा व
मुवलिम 9,00,000/- रुपया नगद वस्त तहरीर हाजा तम्हा
गवाहन के प्राप्त कर लिया इस प्रकार कीमत का कुल रुपया
मुवलिम 50,00,000/- रुपया प्राप्त कर लिया अब कीमत मे
राजवाज





अदीर भारत
 25000 रु.
 अधिकारी, आगरा
 १९१८

04DD 072775

7

कुछ परना बाकी नहीं रहा और न आर्षदा होगा । कब्जा व
 दखल आराजी विक्रीत पर क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और
 काई मालिक व मुस्तकिल बना दिया अब क्रेता को हक होगा कि
 वह उक्त आराजी से वहेसियतस्वामी के चाहे जिस प्रकार लाभान्वित

रामनाथ



0400 072776

8



होवे उसे रहन घेय विक्रय मुआहिदा घेय आदि जो चाहे सो
करे व क्रेता अपने नाम का नामांकन संबंधित विभाग में दर्ज कर
बेनामा हाजा वहेलियत स्वामी के दर्ज करा ले इसमें कुछ उज्र
न होगा ।

राम पांडे





अदीप भागंन
15 JUL 2005
निवाधिकारी, आगरा
४२४

04DD 072769

9

अगर तानीउल्लाल कोई दीगर वारित या दावेदार कौमी या
खानदानी कानूनी या वाक्याती या अन्य कोई दीगर क्पिपान्तदार
पेदा होकर दावा व झगडा करे, या किसी दीगर वजह से कब्जा

रागवार



04DD 072770

10

जुज व कुल क्रैता से निकल जावे या किसी को कुछ रकम अदा करनी
पडे या बेनामा हाजा मे कोई कानूनी कमी पायी जावे तो ऐसी
तमाम सुरती मे उस कुल की जिम्मेदारी व अदायगी हर किस्म

राजबान



प्रदीप भागवत
15 JUL 2005
जोषाधिकारी; आगरा
TRY

04DD 072771

11

मय मूद हरजा व खरचा व लागत के मिनमुकिर प्रथम पक्ष व मेरे
वारिसान की हे व आर्षदा होगी क्रेता द्वितीय पक्ष को हक होगा
कि वह चाहे जिस प्रकार वकूल कर ले इसमे कुछ उग्र व स्तराज नही

राप्रवाह

20/07/05



अदीप भागव
175 JUL 2005
लोकाधिकारी, आगरा
FPT

04DD 072772

12

नही है और न आया होगा ।

आराजी विक्रीत नज़ूल या राजकीय अहस्थान की सम्पत्ति नहीं है

राजकीय

